22.08.2023:—आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मुल वादी का मूल वाद—पत्र खाारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना—पत्र 212/आर.टी.ए. मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। अतः मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़